171

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 524420

जे0 आर0 एम0 चैरीटेविल ऐजूकेशनल ट्रस्ट

मैं कि अतर सिंह पुत्र स्व0 श्री जीवाराम मुखिया निवासी ग्राम सुनारी पो0 बिचपुरी आगरा का रहने वाला हूँ। भारत बर्ष में ग्रामीण क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से पिछडे हुये है। भारत बर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पठन पाठन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को सुदूर पढ़ने जाना पड़ता है तथा भारत बर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई स्तरीय विद्यालय नही है जिससे युवा पीढी आज के इस प्रतियोगी दौर में स्वंय का स्तरविहीन पाती है और ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र होने की वजह से लोग लड़कियों को पढने नहीं भेजते है और वह अशिक्षित रह जाती है। यदि पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में कोई अच्छा विद्यालय होगा तो क्षेत्र के बच्चों को समुचित शिक्षा मिल सकेगी जो कि सर्वागीण विकास के लिए जरुरी है। अतः शैक्षिक रुप से ग्रामीण पिछड़े हुये क्षेत्रो में शिक्षा के समुचित साधन विकसित करने के लिए ट्रस्ट की स्थापना करना चाहता हूँ जो स्कूल, कॉलेज, तंकनीकि कॉलेज, आदि खोलकर संचालित करें जिससे कि समाज का प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो सके व शिक्षित होकर समाजोत्थान व राष्ट्र नवनिर्माण में अद्वितीय भूमिका व अपनी जिम्मेदारीयों का निर्वाहन कर सके। शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास के माध्यम से समाज को नवनिर्माण की दिशा में अग्रसर करके एक सुदृढ़ राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। अतः मिनमुकिर एक एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना करना

429
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि....................
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......... ट्रस्ट
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......... [illegible] चौधरी टेक्निकल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संस्थापक
.... [illegible] लाखन सिंह [illegible] निवासी [illegible] —

स्टाम्प की धनराशि.......... 100

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 524421

चाहता है क्योकि शैक्षिक रुप से पिछड़े क्षेत्रो में विद्यालयों की स्थापना कर विद्यालय संचालित किये जा सकें। अतः मिनमुकिर निम्नवत एक ट्रस्ट स्थापित करता है –

1. **ट्रस्ट का नाम** – जे0 आर0 एम0 चैरीटेविल एजूकेशनल ट्रस्ट
2. **ट्रस्ट का पता** – सुरभी कॉम्पलैक्स दुकान न. 4 बिचपुरी नीयर रेलवे स्टेशन आगरा
3. **शाखा कार्यालय** – ट्रस्ट की शाखाये देश के अन्य स्थानो पर भी स्थापित की जा सकती है।
4. **ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र** – सम्पूर्ण भारत बर्ष
5. **ट्रस्ट का संस्थापक**– श्री अतर सिंह पुत्र स्वं0 श्री जीवाराम मुखिया निवासी ग्राम सुनारी पो0 बिचपुरी आगरा।
6. **ट्रस्ट की स्थापना की तिथि**– 18/04/2013
7. **ट्रस्ट का आरम्भिक धन /समत्ति** – 11000/–रू0 इसके अतिरिक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड होने के समय कोई चल व अचल सम्पत्ति नही है।
8. **ट्रस्टीगण के नाम व पता**–

(i) श्री राजवीर सिंह पुत्र श्री अतर सिंह ग्राम सुनारी पो0 बिचपुरी आगरा।
(ii) श्री संजीव कुमार पुत्र श्री अतर सिंह ग्राम सुनारी पो0 बिचपुरी आगरा।
(iii) श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अतर सिंह ग्राम सुनारी पो0 बिचपुरी आगरा।

9. **ट्रस्ट का अद्देश्य**–

430
17५५13

स्टाम्प विक्रय की तिथि.......
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन....... ट्रस्ट
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......

स्टाम्प की धनराशि.......

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
सदर तहसील, आगरा

यास पत्र

11,000.00	110.00	20	130.00	800
न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री अतर सिंह
पुत्र श्री जीवाराम
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी सुनारी आगरा
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/4/2013 समय 4:10PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती सुमन गुप्ता प्र0
उपनिबन्धक(द्वितीय)
आगरा सदर
18/4/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी

श्री अतर सिंह
पुत्र श्री जीवाराम
पेशा व्यापार
निवासी सुनारी आगरा

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री तेज सिंह
पुत्र श्री बदन सिंह
पेशा व्यापार
निवासी सुनारी आगरा
व श्री सुनील सिंह
पुत्र श्री महेन्द्र सिंह
पेशा व्यापार
निवासी कराहरा आगरा
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती सुमन गुप्ता प्र0
उपनिबन्धक(द्वितीय)
आगरा सदर
18/4/2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 524422

(i) ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा, विधि, तकनीकी व चिकित्सीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना है।

(ii) ट्रस्ट संस्था के उद्देष्य शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना व बच्चों में नैतिक, सामाजिक, शारीरिक बौद्धिक कलात्मक, रचनात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

(iii) ट्रस्ट का उद्देश्य निर्धन, असहाय, विकलांग बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना व उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने की भी व्यवस्था करना।

(iv) ट्रस्ट का उद्देश्य क्रीडा केन्द्रों, व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, एंव खेल सामग्री की उचित व्यवस्था करना।

(v) ट्रस्ट का उद्देश्य निर्धन, असहाय, विकलांग, बच्चों को निशुल्क सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्प, कम्प्यूटर, टाइंपिग, आदि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वित कर उन्हे स्वरोजगार एंव आत्म निर्भर बनना।

(vi) ट्रस्ट संस्था का उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर उच्च शिक्षा एंव तकनीकी शिक्षा तक के स्कूलों, कॉलेजों, एंव महाविद्यालयों तकनीकी महाविद्यालयों, की स्थापना करके संचालन करना।

(vii) संस्था का उद्देश्य बच्चों को स्वावलम्बी एंव आत्म निर्भर बनाने हेतु उन्हें निशुल्क तकनीकी एंव व्यवसायिक शिक्षण–प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर एंव योग्य नागरिक बनाना व राष्ट्र विकास में सहयोग करना।

431
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि.......... ट्रस्ट
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता..........

स्टाम्प की धनराशि.......... 100

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 3
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

न्यासी

Registration No.: 171 Year : 2,013 Book No. : 4

0101 अतर सिंह

जीवाराम

सुनारी आगरा

व्यापार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 524423

(viii) संस्था का उद्देश्य युवाओं में शारीरिक शिक्षा, व्यायाम तथा विषेश रुप से योग शिक्षा के प्रति जागरुकता तथा इसके प्रशिक्षण की समुचित स्यवस्था करना कि जिससे कि युवा पीढी स्वस्थ रहे तथा राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे।

(ix) असहाय वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खोलना तथा उन्हें संचालित करना जिससे वह आत्म सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सके।

(x) चिकित्सालयों व चिकित्सीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना तथा भारतीय चिकित्सा पद्वितियों प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद आदि को प्रोत्साहित करना।

10. **ट्रस्ट के लाभार्थी**– उक्त ट्रस्ट एक पब्लिक चैरिटेबिल ट्रस्ट के रुप में स्थापित किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थान स्थापित कर उनका संचालन करना है तथा अन्य उद्देश्यों की पुर्ति हेतु कार्य करना है अतः उक्त ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय होंगे उक्त ट्रस्ट से जो भी आय होगी वह शिक्षा के उत्तारोत्तर विकास व नये शिक्षण संस्थान खोलने एंव उनके संचालन व ट्रस्ट के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में खर्च की जावेगी।

11. **ट्रस्टीगण** – संस्था में निम्न प्रकार के ट्रस्टीगण होंगे।

(i) <u>कुल क्रमागत ट्रस्टीज</u>– वह ट्रस्टीज जिन्होंने ट्रस्ट की स्थापना में विषेश सहयोग किया कुल क्रमागत ट्रस्टीज होगें ऐसे ट्रस्टीज का अपना उत्तराधिकारी अपने जीवनकाल में नामित करने का अधिकार होगा। यदि वह अपना उत्तराधिकारी नामित न कर सके शेष वर्तमान ट्रस्टीज उसके उत्तराधिकारियों में से

432
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि......
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन...... ट्रस्ट
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......
स्टाम्प की धनराशि...... 100

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BM 524424

उसके रिक्त पद की पूर्ति कर लेंगें। संस्था के वर्तमान तीनों ट्रस्टी कुल क्रमागत ट्रस्टी है। कुल क्रमागत ट्रस्टी के उत्तराधिकारी भी कुल क्रमागत ट्रस्टी होंगें तथा उन्हें ही कुल क्रमागत ट्रस्टी का पूरा लाभ मिलेगा।

(ii) **सामान्य ट्रस्टी–** कुल क्रमागत ट्रस्टी आवश्यकता पड़ने पर अन्य ट्रस्टी सर्वसम्मानित से मनोनीत कर सकेगा। जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा तथा वह पुनः भी ट्रस्टी बन सकते है। सामान्य ट्रस्टीज को अपना उत्तराधिकारी नामित करने का अधिकार नहीं होगा। उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कुल क्रमागत् ट्रस्टीज के द्वारा सर्वसम्मानित के आधार पर की जावेगी।

(iv) **पदेन ट्रस्टीज–** ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों में प्रमुख/प्रधानाध्यापक पदेन ट्रस्टी होंगे परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा और न ही उनकी उपस्थिति गणपूर्ति के लिए देखी जायेगी।

12. **ट्रस्ट मण्डल–** सभी प्रकार के ट्रस्टीज से मिलकर ट्रस्ट मण्डल का गठन होगा।

13. **ट्रस्ट की बैठक–** सभी ट्रस्टीगण की बैठक वर्ष में चार आवश्यक रूप से होंगी तथा आवश्यकता पढ़नें पर अथवा अध्यक्ष के निर्देष पर सचिव द्वारा बैठक आवश्यक रूप से बुलाई जायेगी।

14. **बैठक का कोरम–** ट्रस्ट की बैठकों हेतु 2/3 ट्रस्टीज के दो की उपस्थिति आवश्यक होगी।

433
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि.......

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.......

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......

स्टाम्प की धनराशि...... 100

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

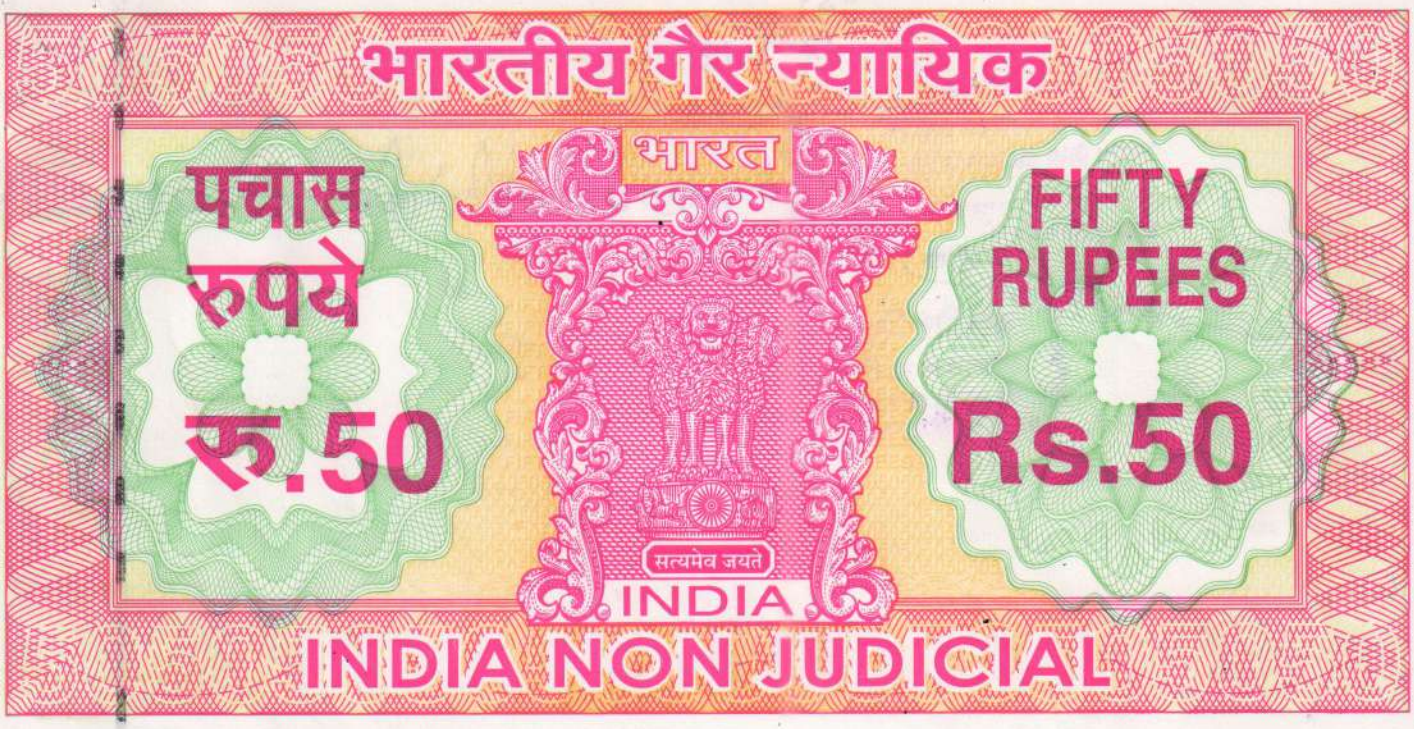

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 600533

15. **ट्रस्टीयों के अधिकार एवं कर्तव्य**– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का निर्वाचन आदि करना। वार्षिक बजट एवं वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना। संस्था की उप–समितियों का गठन करना एवं उनके लिए नियम इत्यादि बनाना।

16. **ट्रस्ट के पदाधिकारी**– ट्रस्ट के निम्न पदाधिकारी होंगे।

(i) अध्यक्ष,
(ii) सचिव,
(iii) कोषाध्यक्ष,

17. **ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कार्यकाल**– ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कार्यकाल अपने चुने जाने से पॉच वर्ष होगा।

18. **ट्रस्ट पदाधिकारियों का निर्वाचन**– पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त होने पर नया निर्वाचन कराया जायेगा जिसमें सभी कुल क्रमागत ट्रस्टीज व सामान्य ट्रस्टीज भाग लेंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है। कि अध्यक्ष व सचिव का निर्वाचन कुल क्रमागत ट्रस्टीज में से ही किया जायेगा। परन्तु प्रत्येक पदाधिकारी अपना उत्तराधिकारी चुने रहने तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा।

19. **ट्रस्टीगण को पद से हटाना**– यदि कभी कोई सामान्य ट्रस्टी निष्क्रीय हो जावे अथवा उसकी गतिविधियॉ संस्था के हित में न हों तो ट्रस्टीगण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे ट्रस्टी के पद से हटा सकेंगे। प्रस्ताव पारित होने के तुरन्त पश्चात वह पद से पृथक माना जायेगा। परन्तु कुल क्रमागत ट्रस्टी पद से हाटया नही जा सकेगा।

434
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ट्रस्ट

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता

स्टाम्प की धनराशि 50

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 600534

20. **रिक्त स्थान की पूर्ति**– सभी ट्रस्टीगण जीवनपर्यन्त ट्रस्टी के रूप में कार्य करते रहेंगे परन्तु यदि कभी किसी ट्रस्टी के निधन से अथवा त्यागपत्र स्वीकृत होने से अथवा पद से हटाने से किसी ट्रस्टी का पद रिक्त हो जाता है। तो उसकी पूर्ति शेष ट्रस्टीयों के द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी पदाधिकारी का पद रिक्त हो जाता है। तो उसकी पूर्ति भी ट्रस्टीगण के द्वारा की जायेगी।

21. **पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य**–

अध्यक्ष– ट्रस्ट की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना। समान मत आने पर निर्णायक मत देना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना। संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो सभी कार्य करना।

435
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि....
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन.... [illegible]
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.... [illegible] — 429
स्टाम्प की धनराशि.... 50
बलबीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
ले. की अवधि 31 मार्च 2013
सदर तहसील, आगरा

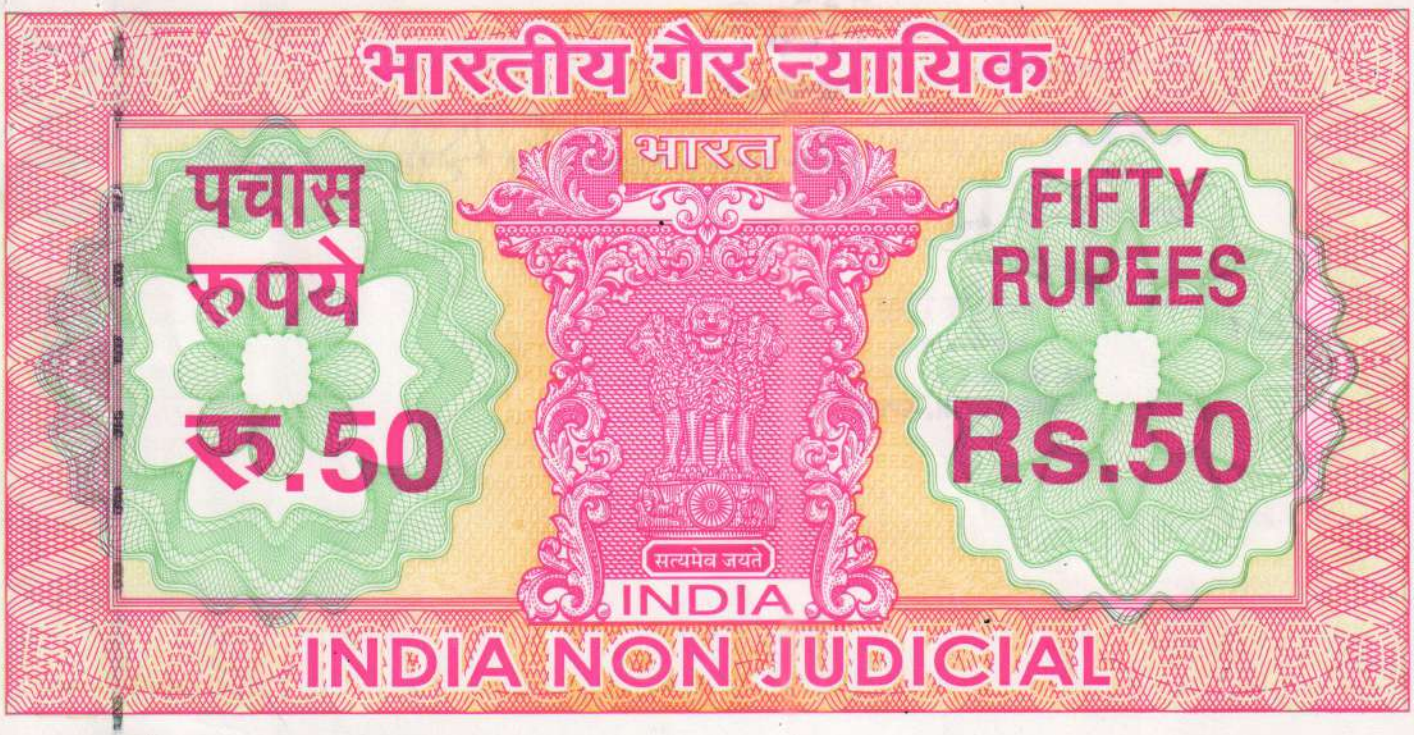

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 600535

सचिव– संस्था की बैठक बुलाना एवं बैठक की सूचना सदस्यों तक पहुँचाना। बैठकों की कार्यवाही लिखना। संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना तथा उसका प्रचार व प्रसार करना। दान लेना तथा चन्दा प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना। संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना संस्था की ओर से पत्राचार करना संस्था की ओर से कानूनी कार्यवाही करना तथा संस्था की ओर से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण लेने अथवा इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा प्रपत्र निष्पादित करने का दायित्व भी सचिव का होगा।

कोषाध्यक्ष– संस्था के आय–व्यय का विवरण रखना तथा संस्था के कोष को बैंक में जमा कराना।

22. **ट्रस्ट के कोष की व्यवस्था**– ट्रस्ट का सभी धन किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान में खाता खोलकर जमा कराया जावेगा जिसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर से किया जायेगा।

436
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि........
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........
स्टाम्प की धनराशि........ 50

बलबीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
लाइ. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

-424

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 600536

23. **ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालयों का प्रबंन्धन**– ट्रस्ट द्वारा जो भी शिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे उनका प्रबन्धन ट्रस्ट मण्डल अथवा ट्रस्ट मण्डल द्वारा गठित एक प्रबन्ध समिति के हाथों में होगा उक्त प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पॉच वर्ष होगाा परन्तु यदि ट्रस्टीगण की आमराय हो कि उक्त प्रबन्ध समिति विधिवत कार्य संचालन नहीं कर रही है तो वह 2/3 बहुमत से कभी भी प्रबन्ध समिति का भंग कर उसके स्थान पर नयी प्रबन्ध समिति का गठन कर सकेंगे। अथवा उसका प्रबन्धन ट्रस्ट मण्डल अपने हाथ में ले सकेगे। लेकिन क्रमागत ट्रस्टी पद से नही हटाये जा सकेगें।

437
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि...
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन... ट्रस्ट
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता...

स्टाम्प की धनराशि... 50

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

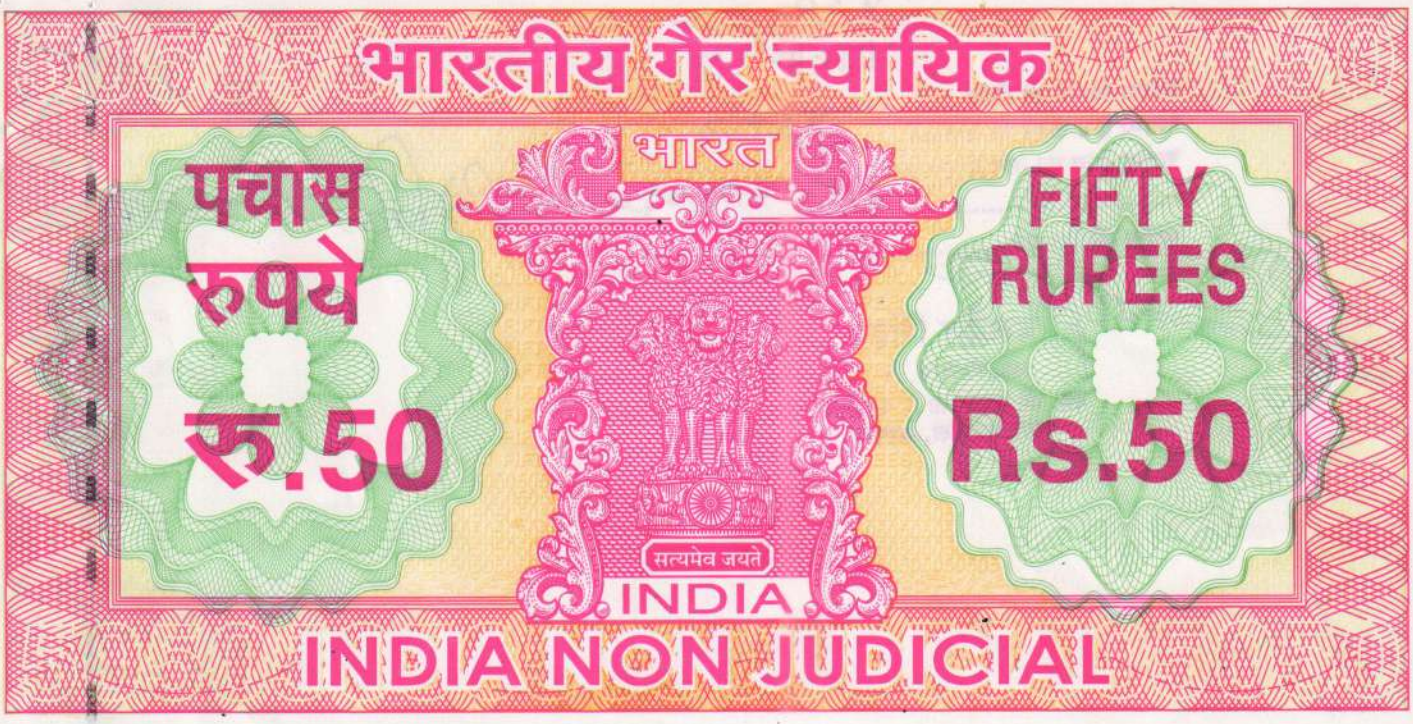

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 600537

24. **ट्रस्ट का विघटन**– यदि कभी ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में सफल न हो पाये तो ट्रस्ट की सम्पत्ति ट्रस्ट के संस्थापक के पास पहुँच जायेगी। अतः उक्त ट्रस्टडीड के आधार पर उक्त ट्रस्ट का गठन कर ट्रस्टडीड निष्पादित कर दी, ताकि सनद रहे व वक्त जरूरत काम आवे। तहरीर तारीख 18/04/2013 को ट्रस्टडीड निष्पादित की गयी। वमसौदा लाखन सिंह बघेल दस्तावेज लेखक सदर, तहसील आगरा

438

17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि........ 17-4-13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........ ट्रस्ट

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........ डॉ० आर० एस० चौहान — 429

स्टाम्प की धनराशि........ 50

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

द्वितीय आगरा * उत्तर प्रदेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 600538

11

हस्ताक्षर गवाहान–

हस्ताक्षर संस्थापक

साक्षी का नाम तेज सिंह
पिता श्री चंदन सिंह
निवासी ग्राम सुनारी आगरा
तेजसिंह

लेखक का नाम:- लाखन सिंह बघेल
लाइसेन्स नं. 33
मान्य तिथि — 2013 – 2014
लेखन शुल्क 100
लेखक के हस्ताक्षर

साक्षी का नाम सुनील सिंह
पिता श्री महेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम करहरा तह० किरावली आगरा
सुनील सिंह

439
17-4-13

स्टाम्प विक्रय की तिथि......
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन......
स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......
......
स्टाम्प की धनराशि......

बलवीर सिंह
लाइसेन्स नं. 8
ला. की अवधि 31 मार्च 2015
सदर तहसील, आगरा

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

आज दिनांक **18/04/2013** को

वही सं **4** जिल्द सं. **512**

पृष्ठ सं. **109** से **130** पर कमांक **171**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

श्रीमती सुमन गुप्ता प्र0
उपनिबन्धक(द्वितीय)
18/4/2013

उपनिबन्धक द्वितीय आगरा उत्तर प्रदेश